

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

एफ 5/अभि./CTAD/275(1)बजट घोषणा/ईएमआरएस क्षमता वृद्धि/2020-21/

दि. :

उपायुक्त,  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,  
आबूरोड जिला सिरोही।

विषय : एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) बालक आबूरोड पं.स. आबूरोड जिला सिरोही में विभिन्न निर्माण कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : परियोजना प्रबंधक स्वच्छ परियोजना पत्रांक एफ( )/निर्माण/निदे./स्वच्छ/2020-21/608 दिनांक 26.03.2021।

विषयान्तर्गत एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) बालक आबूरोड पं.स. आबूरोड जिला सिरोही में विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु स्वच्छ परियोजना से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त हुआ। प्रस्तावित निर्माण एवं सुविधाओं का विकास का विवरण निम्नानुसार है:-

**Name of work :- Detailed Estimate of EMRS Abu Road, Dist. Sirohi**

**General Abstract**

S.No.	Name of work	Sanctioned Amount
1	<b>Part (A) - Construction of dinning hall at ground floor</b>	84.55
3	<b>Part (B) - Construction of Class Room</b>	86.48
4	<b>Part (C) - Construction of Toilet Blok (3 Nos.)</b>	19.47
5	<b>Part (D) - Constuction of Internal Pathway</b>	6.04
	<b>Total</b>	<b>196.54</b>
	Add 1.25% Contingency Charges	2.45
	<b>Sub Total</b>	<b>198.99</b>
	Add 4% Establishment Charges	7.95
	Total (In Lacs)	<b>206.94</b>
	0.25% Contingency Charges for monitering TAD	<b>0.49</b>
	<b>Grand Total (In Lacs)</b>	<b>207.43</b>

स्वच्छ परियोजना से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से एवं शासन से स्वीकृति के अनुमोदन के क्रम मे निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-3 मे वर्णित कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति अनुसार कॉलम संख्या-5 में वर्णित राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है।

(राशि लाखो मे)

क्र. सं.	जिला	स्थान	तकनीकी स्वीकृति		वर्तमान मे हस्तांतरण योग्य राशि
			क्र/दि.	राशि	
1	2	3	4	5	6
1	सिरोही	एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) बालक आबूरोड पं.स. आबूरोड जिला सिरोही में विभिन्न निर्माण कार्य।	P.O./Swach Aburoad/Technical / 2020-21/1217/ 26.03.2021	207.43	103.47

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 107/2019-20 में एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल विद्यालयों की मरम्मत एवं निर्माण कार्य हेतु प्राप्त राशि रू. 500.00 लाख में से उपरोक्त कार्य की स्वीकृत लागत राशि रूपये 207.43 लाख में से देय राशि रू. 206.94 लाख की 50 प्रतिशत राशि रू. 103.47 लाख (अक्षरे रू. एक करोड तीन लाख सेतालिस हजार मात्र) निदेशक स्वच्छ परियोजना, उदयपुर को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कन्टीनजेंसी चार्ज देय 1.50 प्रतिशत में से 0.25 प्रतिशत राशि रूपये 0.49 लाख प्रोजेक्ट मोनेटरिंग हेतु आयुक्तालय में रखे जावे व पृथक से पुस्तांकन करे।

शर्तें—

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. साईट प्लान, ड्राईंग प्लान, थ्रीडी ऐलिवेशन, स्ट्रक्चर डिजाईन आदि का आयुक्तालय से अनुमोदन पश्चात् कार्य प्रारंभ करे।
3. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही ड्राईंग, तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
4. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से बनाया जावे।
5. भवन पूर्ण होने के पश्चात् आवश्यक फर्निचर उपलब्ध कराने के पश्चात् भी Handed Over / Taken Over की कार्यवाही की जावे।
6. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, संशोधन 2013 एवं सामान्य लेखा व वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए पूर्व में व वर्तमान में स्वीकृत निर्माण कार्य का सम्पादन सक्षम व योग्य सिविल अभियंताओं की देख-रेख में गुणवत्ता पूर्वक किया जावे।
7. स्वीकृत कार्यों का समय-समय पर third party inspection करवाया जायेगा। inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
8. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पुनः लौटाई जावे।
9. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@rajasthan.gov.in पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।


sd  
(प्रजा केवलरमानी)I.A.S  
आयुक्त

एफ 5/अभि./CTAD/275(1)बजट घोषणा/ईएमआरएस क्षमता वृद्धि/20-21/  
प्रतिलिपि—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।

दिनांक 16/6/21  
15/43-57

3. जिला कलक्टर, सिरौही।
4. निदेशक/परियोजना प्रबंधक, स्वच्छ परियोजना, बड़ी रोड उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 107/2019-20 में एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल विद्यालयों की मरम्मत एवं निर्माण कार्य हेतु प्राप्त राशि रू. 500.00 लाख में से उपरोक्त कार्य की स्वीकृत लागत राशि रूपये 207.43 लाख में से देय राशि रू. 206.94 लाख की 50 प्रतिशत राशि रू. 103.47 लाख (अक्षरे रू. एक करोड़ तीन लाख सेतालिस हजार मात्र) निदेशक स्वच्छ परियोजना, उदयपुर को हस्तांतरित करावे। हस्तांतरित राशि पर देय कन्टीनजेंसी चार्ज 1.50 प्रतिशत राशि रू. 1.47 लाख में से 0.25 प्रतिशत राशि रूपये 0.245 लाख प्रोजेक्ट मोनेटरिंग हेतु आयुक्तालय में रखे जावे व पृथक से पुस्तांकन करे।
6. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर जिला उदयपुर।
7. निदेशक मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. प्रधानाचार्य/अधीक्षक, एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) बालक आबूरोड पं.स. आबूरोड जिला सिरौही।
10. गार्ड फाईल।

  
अतिरिक्त आयुक्त  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
उदयपुर (राज.)।